न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 36/2017 राजस्व अपील

1. रामप्रसाद
2. कमलेश
3. बचनसिंह

पुत्रान स्व0 मोजीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलांट्स

बनाम

1. नाथूलाल
2. रामनिवास

पुत्रान स्व0 परस्या जाति मीणा निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा।

3. गुमान
4. बृजमोहन
5. पिण्टू उर्फ अण्डू
6. श्यामलाल
7. मुकेश
8. गुड्डीदेवी

पि0 स्व0 किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा।

9. तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा दिनांक 11.2.17 उनवानी नाथूलाल वगै0 बनाम रामप्रसाद वगै0 मु0नं0 10/16

उपस्थिति : श्री वैभवराज गुरावा अधिवक्ता अपीलांट्स उप0।
: पं0 रामबाबू शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 नं0 1 लगा. 8 उप0!

—:निर्णयः— दिनांकः 09 .01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 81 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डिगो पटवार हल्का डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध दायर प्रकरण के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने रेस्पोडेन्ट्स का प्रथमदृष्टया केस मानते हुए अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना शहादत जवाबदेही बिना बहस सुने मनमाना निर्णय दिनांक 11.2.2017 पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलवी रेस्पोडेन्ट्स की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये थे उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मनमाना निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लगभग 42 वर्ष पुराना अहम दस्तावेज को अग्राह्य कर दिया जो सर्वथा कानूनी नियमों का उल्लंघन है। विगत 45 वर्षों से अपीलान्ट्स एवं उनके पूर्वज काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। 45 वर्षों तक कभी विरोध नहीं किया गया। संवत 2030–33 की गिरदावरी में भी अपीलांट्स का नाम है। अपीलांट्स अतिक्रमी नहीं है। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि अपीलांट्स के पूर्वजों के पास मालाकलाम के आधार पर अपनी स्वेच्छा से हस्तान्तरित कर कब्जा मौके पर संभला दिया गया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को भली भांति रही है एवं उक्त कब्जा परमिशिव पजेशन की परिभाषा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो वादग्रस्त आराजी का मौका स्वयं द्वारा और ना ही अपने किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा ही देखा गया जिससे वास्तविक वस्तुस्थिति का ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को नहीं हो सका और ना ही रियल कनट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज तय की जा सकी। क्योंकि दस्तावेज द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज के रूप में ए0सी0जे0एम0–1 में विचाराधीन प्रकरण बृजमोहन बनाम सरकार में अनुसंधान अधिकारी स्वयं ने यह माना है कि "दौराने तफ्तीश बच्चनसिंह ने उक्त विवादित खसरा नं. की गिरदावरी संवत 2030–33 तक पेश की जिसमे मौजीराम (अपीलार्थीगण के पिता) द्वारा काश्त करना अंकित है। सम्पूर्ण तकमील तफ्तीश एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से पाया गया कि मुस्तगीश (बृजमोहन) मुकदमा के बाप–दादा के समय से ही आरोपियान (अपीलान्टस) के बाप–दादाओ को बेचान करना मौखिक साक्ष्य आयी है कि आरोपियान पक्ष का करीब 40 साल से उक्त विवादित भूमि का कब्जा है एव आरोपियान पक्ष ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है" एवं यही बयान दौरान पुलिस तफ्तीश गवाह रामकिशोर, टूण्डाराम, कमल इत्यादि ने कही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 11.02.2017 को समूल अपास्त किया जाना न्यायानुकूल एवं आवश्यक है। वतौर नजीर न्यायिक दृष्टान्त 2008 (9) एस सी सी पेज 368 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ जम्मू कश्मीर व अन्य, 2007 (6) एस सी सी पेज नं. 186 सुरजभान व अन्य बनाम फाइनेंसियल कमीश्नर व अन्य, आर एल डब्लू 2004 (4) एस सी पेज नं. 602 सुमन वर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य, 1996 (6) एस सी सी पेज नं. 223 सावरनि बनाम इन्द्रकौर, आर आर टी 2002 (2) पेज नं. 867 हडमाना राम बनाम धीरा, आर आर टी 2003 (1) पेज नं. 678 तहल सिंह बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू व अन्य पेश किये गये है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगायत 8 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 81 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डिगो पटवार हल्का डिगो तहसील लालसोट की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष एक प्रार्थना धारा 183 (बी) आरटीए के तहत इस आशय का पेश किया कि बच्चनसिंह गुर्जर वगै0

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

लोगों के द्वारा अनुसूचित जनजाति के खातेदारान की उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दिनांक 1.8.2016 को पटवारी हल्का ने इस आशय की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को पेश की। रेस्पोडेन्टस की ओर से स्वयं बृजमोहन गहवा चन्दन गुर्जर तत्कालीन सरपंच डिगो पेश हुआ। इस समस्त कार्यवाही के पश्चात दिनांक 11.2.2017 को तहसीलदार लालसोट द्वारा शहादत जवाबदेही व बहस सुनने के पश्चात अपीलांट को विवादित भूमि से अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये है। क्यों कि जमाबन्दी से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि भूमि की खातेदारी मीना जाति के लोगों के नाम दर्ज है तथा पटवारी हल्का डिगो के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रमाणित है कि गुर्जर जाति के लोगो ने मीना जाति की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। प्रस्तुत अपील हैरान परेशान करने की गर्ज से पेश की गई है। अतः अपील निराधार होने के कारण खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे (11) 2004 पेज नं. 17 सोनिया बनाम किशोरमल पेश किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि अपीलांट्स के पूर्वजों के पास मालाकलाम के आधार पर अपनी स्वेच्छा से हस्तान्तरित कर कब्जा मौके पर संभला दिया गया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को भली भांति रही है एवं उक्त कब्जा परमिशिव पजेशन की परिभाषा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो वादग्रस्त आराजी का मौका स्वयं द्वारा और ना ही अपने किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा ही देखा गया जिससे वास्तविक वस्तुस्थिति का ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्टस को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर एवं नियमों के परिपेक्ष्य में तथ्यो की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09 .01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा